भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4035
सोमवार, 18 अगस्त, 2025/ 27 श्रावण, 1947, (शक)

ईएसआईसी सुविधाओं का संवर्धन

4035. श्री दुलू महतो:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईएसआईसी के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा ईएसआई लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा ईएसआई लाभार्थियों के विवाद समाधान हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश भर में ईएसआई सुविधाओं के उन्नयन या विस्तार हेतु कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ईएसआईसी के साथ पंजीकृत बीमित व्यक्ति (आईपी) के बच्चों के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीटों में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या विगत दस वर्षों के दौरान ईएसआईसी के साथ पंजीकृत मेडिकल कॉलेजों सहित कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अपने लाभार्थियों को उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए, ईएसआई सुविधाओं के अपग्रेडेशन और विस्तार हेतु निरंतर कदम उठा रहा है। उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं: बिस्तरों की संख्या में वृद्धि, उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद, ईएसआईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू)/उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) सुविधाओं की स्थापना, नए अस्पतालों की स्थापना, पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, प्रतीक्षा समय को कम करने और रोगी सुविधा को बढ़ाने के लिए ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए यूजर-फ्रेंडली ऐप का अपग्रेडेशन आदि।

ईएसआई लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सरल बनाने के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

i) उन स्थानों पर जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ साझा सहयोग से पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।

जारी/2---

ii) स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी) / आश्रित लाभ (डीबी) लाभार्थियों के लिए लाभ की दरों में वृद्धि।

iii) लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाया गया है।

iv) बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/सुविधा शुरू की गई है।

1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीआरईई) एक योजना शुरू की है जिससे कि कवर न किए गए नियोक्ताओं और कर्मचारियों का कवरेज बढ़ाया जा सके। ईएसआईसी ने मुकदमेबाजी को कम करने और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक-बारगी विवाद समाधान विंडो, एमनेस्टी स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। बीमित व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षण संबंधित राज्य सरकार/राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान ईएसआईसी में पंजीकृत कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**कर्मचारियों की संख्या**	**कुल नियोक्ताओं की संख्या**
2014-15	1,79,54,970	7,23,756
2015-16	1,89,21,250	7,83,786
2016-17	2,93,21,060	8,98,138
2017-18	3,11,18,680	10,33,730
2018-19	3,14,01,920	12,11,174
2019-20	3,09,66,930	12,36,565
2020-21	2,46,72,150	14,82,125
2021-22	2,78,62,710	15,94,083
2022-23	3,05,42,660	20,83,340
2023-24	3,14,87,120	22,23,808

*****